

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, बुद्धवार, अक्टूबर 31, 1979/कार्तिक 9, 1901
No. 339] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1979/KARTIKA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1979

सा. का. नि. 603(अ).—विस्फोटक नियम, 1940 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 27 जून, 1979 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 406(अ) तारीख 27 जून, 1979 के अधीन भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) नै धारा 18 की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 7 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्फोटक नियम, 1940 में और संशोधन

करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 1979 है ;
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. विस्फोटक नियम, 1949 में, नियम 83 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“83क. कुछ मामलों में विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं .—नियम 81 में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय बलों द्वारा विनिर्मित ऐसे विस्फोटकों के विक्रय के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी जो किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय या परिदत्त किए जाते हैं, जिसके पास इन नियमों के अधीन इस प्रकार विक्रीत या परिदत्त विस्फोटक-वर्ग तथा परिमाण के लिए जारी की गई विधि मान्य अनुज्ञप्ति है ।”

[फा. सं. 2(9)/79-एम.-1]

आर. एन. चौपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 1979

G.S.R. 603(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Explosives Rules, 1940, were published as required by section 18 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 27th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry, (Department of Industrial Development) No. G.S.R. 406 (E), dated the 27th June, 1979 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of 30 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 7th July, 1979 ;

And whereas no objections or suggestions have been received by the government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Act the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Explosives Rules, 1940 namely :—

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 1979.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 1949, after rule 83, the following rule shall be inserted, namely :—

“83. No licence needed for sale in certain cases.—Notwithstanding any thing contained in rule 81, no licence shall be necessary for the sale of such explosives manufactured by Indian forces as are sold or delivered to any person who is in possession of a valid licence issued under these rules for the class and quantity of explosives so sold or delivered.

[F. No. 2(9)/79-MI]

R. N. CHOPRA, Jt. Secy.